

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.

/2017 निगरानी

११२६-४/१७


श्री दुष्यन्त कुमार सिंह-१३
द्वारा आज दि. 10/4/17 को
प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
10.4.17

शिवप्रसाद पिता लक्ष्मिन केवट
निवासी-ग्राम जोगियानी, पोस्ट आ०
मरोहर, तहसील माडा, जिला सिंगरौली
(म.प्र.) —————आवेदक

बनाम

- 1- अवधेश पिता रुद्र प्रसाद केवट
निवासी - ग्राम जोगियानी, तहसील
माडा, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 2- सुभाष बंसल तनय मोतीलाल बंसल
निवासी - ग्राम खड़िया बाजार
(शक्तिनगर) तहसील दुदी, जिला सोनभद्र
(उ.प्र.) —————अनावेदकगण


दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-३

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 (1) म.प्र. भू-राजस्व
संहिता-1959 विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय जिला
सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 225/बी-121/2014-15 में
पारित आदेश दिनांक 27-2-2017 से परिवेदित होकर,

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवर्ति आदेश प्रपत्र

(70)

प्रकरण क्रमांक R/1126/D/17, सिंग,

शिवपूसाद/अवदेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-1-19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>हुष्यंन कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>225(B-21)/14-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27/02/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18-4-19</u> को संभागीय आयुक्त <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य</p>

[Handwritten signature]